भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 472**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**त्वरित अदालतें स्थापित करने के लिए निर्भया निधि का उपयोग**

**472. श्री माजीद मेमनः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए 1,023 त्वरित अदालतें स्थापित करने हेतु निर्भया निधि का उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना के पहले चरण में चिन्‍हित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने यौन हमलों वाले मामलों के लिए फॉरेंसिक किट की खरीद भी प्रस्तावित की है तथा कोंकण रेलवे के 50 रेलवे स्टेशनों पर सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरे लगाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : जी, हां । सरकार ने पूरे देश में बलात्‍कार और पोक्‍सो अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई के लिए लंबित मामलों के निपटान के लिए कुल 767.25 करोड़ रुपये की वित्‍तीय लागत से, जिसमें से निर्भया कोष में से 474.00 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में होंगे, 1023 त्‍वरित विशेष न्‍यायालय स्‍थापित करने की परियोजना का हाल ही में मूल्‍यांकन किया है ।

 प्रथम चरण में 349.65 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता से 09 राज्‍यों (उत्‍तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र, पश्‍चिम बंगाल, मध्‍य प्रदेश, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश/तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक) में 774 त्‍वरित विशेष न्‍यायालय स्‍थापित किए जाने का प्रस्‍ताव है ।

(ग) : सरकार ने निर्भया कोष के अंतर्गत 107.19 करोड़ रुपये की लागत से राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण/यौन आक्रमण के मामलों में फॉरैंसिक्‍स में प्रशिक्षण तथा राज्‍यों में एफएसएल के सुदृढ़ीकरण के माध्‍यम से फॉरैंसिक किटों का प्रयोग शुरू करने के लिए यौन आक्रमण के मामलों में ऐसी किटों की खरीद के लिए प्रस्‍ताव का हाल ही में मूल्‍यांकन किया है ।

 इसके अलावा, सरकार ने 17.64 करोड़ रुपये की लागत से कोंकण रेलवे स्‍टेशनों पर वीड़ियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान करने के कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि0 (केआरसीएल) के प्रस्‍ताव का भी हाल ही में मूल्‍यांकन किया है । रेलवे स्‍टेशनों पर इन सीसीटीवी कैमरों के लग जाने से अन्‍य बातों के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी ।

\*\*\*\*\*